बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950

(1950 का बिहार अधिनियम संख्यांक 16)

[29 मार्च, 1950]

यह उपबंध करने के लिए अधिनियम कि कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे ।

चूंकि यह उपबंध करना इष्टकर है कि कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे ।

अतः एतद्द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम---यह अधिनियम बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950 कहलाया जा सकेगा ।

2. सदस्यता के लिए अनर्हताओं का हटाया जाना---केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह अनुसूची में वर्णित लाभ के पद होने वाले पदों में से किसी को धारण करता है कोई व्यक्ति बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होगा [1][और कभी भी अनर्ह न हुआ समझा जाएगा] ।

3. 1950 के बिहार अध्यादेश 1 का निरसन---बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अध्यादेश, 1950 (1950 का बिहार अध्यादेश 1) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

अनुसूची

[2][(1) राज्यमंत्री या उपमंत्री के पद ; और]

(2) संसदीय सचिव का पद ।

[3][(3)] प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के अधीन गठित प्रादेशिक सेना में कोई पद ।

[4][(4) राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के अधीन गठित राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म में कोई पद ।]

[5][(5) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकार के सेवक द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद बशर्ते कि ऐसी समिति या निकाय का अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ता के सिवाय अन्य कोई पारिश्रमिक न लेता हो ।]

परंतु यह कि ऐसी समिति या निकाय का सभापति या कोई अन्य सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है ।

[6]**[स्पष्टीकरण**---इस खंड के प्रयोजनार्थ "प्रतिकरात्मक भत्ता" से अभिप्रेत होगा :---

(i) पदधारी को समिति या निकाय की बैठक में उपस्थित होने अथवा उक्त पदधारी के रूप में कोई अन्य कृत्य संपादित करने में उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ दिया जाने वाला यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता या मानदेय के रूप में दिया जाने वाला भत्ता ; और

---

[1] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 33) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का बिहार अधिनियम 25) द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का बिहार अधिनियम 25) द्वारा खंड (2) को खंड (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[4] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का बिहार अधिनियम 34) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित । उक्त धारा यह भी विहित करती है कि खंड और व्याख्या के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मूल अधिनियम में सदैव जुड़े हुए हैं ।

[5] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1971 का बिहार अधिनियम 1) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1975 का बिहार अधिनियम 10) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

(ii) पदधारी को क्वार्टर का आबंटन और उसके लिए सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं, विशेषाधिकारों तथा सुख-साधनों, अथवा उनके बदले में नकद भुगतान का उपबंध जैसा कि, यथास्थिति, राज्य सरकार बोर्ड, अथवा समिति या निकाय का प्रबंध-प्राधिकारी, इस निमित्त दिए गए आदेश द्वारा, उसमें यथा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर अवधारित करें।]

[1][(6) ऐसे किसी बीमाकर्ता के अधीन कोई पद जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है।]

व्याख्या---इस खंड के प्रयोजन के लिए "नियंत्रित कारबार" पद और "बीमाकर्ता" शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ कि क्रमशः उनका जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) में है ।

(7) ऐसे कमीशन पर, जैसा कि केंद्रीय सरकार ने उस निमित्त नियत किया हो या ऐसे कमीशन के बिना राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों का विक्रय प्रभावी करने या उनके निमित्त अंशदान संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अभिकर्ता का पद या अन्य तद्रूप पद ।

व्याख्या---इस खंड के प्रयोजन के लिए :---

(i) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र,

(ii) 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र, और

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई अन्य बचत प्रमाणपत्र या सरकारी प्रतिभूतियां,

राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र के अंतर्गत हैं ।

[2][(8) रिजर्व और सहायक विमान बल अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन खड़े किए गए और बनाए रखे गए सहायक बल या विमान प्रतिरक्षा रिजर्व बल में सदस्य का पद ।]

[3][(9) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 184 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी सभापति का पद, तथा

(10) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी अध्यक्ष का पद ।]

---

[1] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 33) की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।

[2] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का बिहार अधिनियम 2) की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया और सदैव जोड़ा गया समझा जाएगा ।

[3] बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का बिहार अधिनियम 25) की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया और सदैव जोड़ा गया समझा जाएगा ।